बस-ट्रक भिड़ंत में 3 कारोबारियों की मौत

जबलपुर-नागपुर राजमार्ग देवलापार वडाम्बा में हादसा, 12 घायल

जबलपुर, 29 अक्टूबर. जबलपुर-नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर देवलापार थाना अंतर्गत वडाम्बा समीप बुधवार दोपहर करीब दो बजे ट्रैवल्स बस और ट्रक में भीषण भिड़ंत हो गई.

इस बीच कार दोनों वाहनों के बीच में जाकर घुस गई. हादसे में जबलपुर के तीन कारोबारियों की मौत हो गई. जबकि 12 लोग घायल है. परिजन घटना स्थल की ओर रवाना हो गए जब उन्होंने अपनों की लाशें देखी तो चीख पुकार मच गई. परिजनों का रोककर बुरा हाल था. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जबलपुर-नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर देवलापार थाना अंतर्गत वडाम्बा समीप दोपहर दो बजे बस क्रमांक एमपी-22, जेडजी-5822 नागपुर की ओर आ रही थी. नागपुर से जबलपुर जा रही कार क्रमांक एमपी-20, जेडए 0014 के सामने अचानक एक बाइक आ गई. दोपहिया को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ. खड़े ट्रक क्रमांक आरजे-11, जीसी-6663 से बस टकरा गई. इस दौरान कार भी दोनों वाहनों में घुस गई.

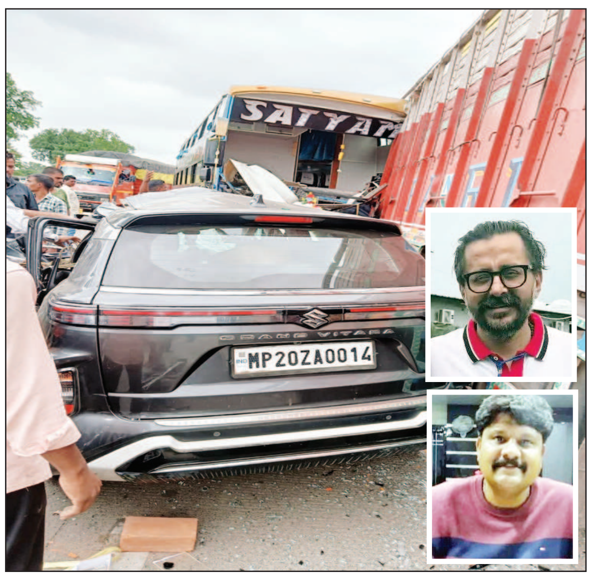

ऑटो को कार ने मारी टक्कर, एक की मौत

दमोह, 29 अक्टूबर. जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास दमोह-कटनी मार्ग स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास एक चार पहिया वाहन की टक्कर लगने से ऑटो रिक्शा सवार करीब एक दर्जन लोग बुरी तरह से घायल हो गए. जिन्हें उपचार के लिए दमोह जिला अस्पताल लाया गया. घायलों में एक वृद्ध महिला बतीबाई पति महाराज सिंह निवासी राजा पटना को डॉक्टर टीम ने चेकअप उपरांत ईसीजी कराकर मृत घोषित कर दिया. घायलों में महेंद्र पिता मलखान सिंह, विनीता पति चंदन सिंह, हल्की बाई पति महेंद्र, चंदाबाई पति खेत सिंह, बैनी बाई पति केदार सिंह उम्र 25 वर्ष, ऑटो रिक्शा चालक जगत पिता लुक्खा अहिरवार, चंदाबाई पति मोहन सिंह, रचना बाई, इमरतबाई, दिलीप सिंह, बबीता, सभी निवासी राजा पटना बताए गए हैं. जो कि राजा पटना से आनू ग्रमी में शामिल होने गए हुए थे. तभी यह लौटते समय हादसे का शिकार हो गए.

विश्वविद्यालय में एनएसयूआई का प्रदर्शन

- पुलिस ने वाटर कैनन का किया प्रयोग
- जिलाध्यक्ष सहित कई छात्र गिरफ्तार

रीवा, 29 अक्टूबर, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा में हुई गड़बड़ी सहित विभिन्न मांगो को लेकर एनएसयूआई ने बुधवार की दोपहर प्रदर्शन किया.

प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय में कुलगुरू से मिलने के लिये जैसे ही छात्र आगे बढ़े तो उन्हे पुलिस ने रोक लिया और छात्रों को तितर-बितर करने के लिये वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, साथ ही एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सहित कई छात्रों को गिरफ्तार किया गया. उधर छात्रों का कहना है कि वह अपनी न्याय संगत मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. लेकिन विश्वविद्यालय प्रवेश द्वार के पहले ही पुलिस ने रोक लिया और गिरफ्तार किया. एनएसयूआई जिलाध्यक्ष का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से कुलगुरू से मिलकर अपनी मांग हमे रखनी थी लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के इशारे पर पुलिस ने छात्रों पर वाटर कैनन का प्रयोग किया और कुलगुरु से मिलने नही दिया गया. विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा का परिणाम हाल ही में घोषित हुआ है, जिसमें भारी धांधली की गई है. इसी तरह अतिथि विद्वानों को नियम विरूद्ध तरीके से रखा गया है. संबल योजना सहित कई मांगो को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन था.

1 लाख दीपों से जगमग होंगे चित्रकूट के घाट

सतना. देव प्रबोधिनी एकादशी पर 1 नवंबर को दीपोत्सव पर्व का आयोजन होगा. इस मौके पर मां मंदाकिनी के पुण्य तट पर 1 लाख 11 हजार 111 दीप प्रज्जवलित कर दीप आराधना की जायेगी. श्रीरामचंद्र, माता सीता, माँ नर्मदा, माँ मंदाकिनी की महाआरती, दीप आराधना एवं भक्ति गायन का आनंद ले सकेंगे. श्रीरामचंद्र पथ गमन न्यास, संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित एवं प्रशासन अनूपपुर के सहयोग से यह कार्यक्रम होगा. जिले में श्रीरामचन्द्र पथ गमन न्यास मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा जिला प्रशासन सतना के सहयोग से चित्रकूट के मां मंदाकिनी घाट पर राघव प्रयाग घाट में दीपोत्सव होगा.

किसानों का फूटा गुस्सा, लगा लंबा जाम

पनागर तहसील कार्यालय का किया घेराव

जबलपुर, 29 अक्टूबर. भारतीय किसान संगठन के बैनर तले बुधवार को पनागर में किसानों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया.

जिले के विभिन्न हिस्सों से आए सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर अपनी आठ सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील कार्यालय का घेराव किया. रैली के कारण पनागर मुख्य मार्ग पर करीब पांच किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे आमजन और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. किसानों का कहना था कि प्रशासन और सरकार उनकी समस्याओं को अनदेखा कर रही है. वे नए युग के किसान हैं, लेकिन अब भी पुरानी व्यवस्थाओं के तहत सुविधाएं दी जा रही हैं. उनका आरोप है कि कृषि उपकरणों, सिंचाई सुविधाओं और फसल बीमा योजनाओं में लगातार लापरवाही बरती जा रही है. किसानों की आठ सूत्रीय मांगों में पराली जलाने का आदेश स्थगित करना, बिजली बिल माफी, उचित समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी, खाद-बीज की उपलब्धता और सहकारी समितियों में पारदर्शिता जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं.

खाद्य सुरक्षा विभाग ने मारा छापा, फैक्ट्री सील

बगैर पंजीयन व लायसेंस के चल रही थी पानी की फैक्ट्री

रीवा, 29 अक्टूबर, शहर में बगैर लायसेंस और बड़ी कम्पनियों का लेबल लगाकर पानी बेचने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है.

संचालक फर्जी लायसेंस नम्बर बोतलो में डाल कर पानी की सप्लाई कर रहा था. शहर के मैदानी स्थित पैकेज ड्रिंकिंग वाटर फैक्ट्री में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल ने छापामार कार्यवाही की. जहा पानी की बोतलो पर फर्जी लायसेंस बिक्री होना पाया गया. साथ ही फैक्ट्री का कोई लायसेंस नही था. कार्यवाही के दौरान पाउच और पानी की बोतल जप्त की गई और फैक्ट्री को सील कर दिया गया है. यह कार्यवाही कलेक्टर प्रतिभा पाल को मिली शिकायत के बाद की गई है. जांच के दौरान फ़ैक्टरी में क्रिस्टल और एक्वा पिंक के नाम से पानी की बोतलें पांच सौ एमएल और एक लीटर में श्रीजी फूड एंड बेवरेज निर्माता कंपनी के नाम से बिक्र किए जा रहे थे इन बोतलों के ऊपर जो फर्ज़ी लाइसेंस नंबर डाला गया था वहां 17 अंकों का था जबकि एफएसएसएआई का लाइसेंस नंबर 14 अंकों का होता है.

> खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमरीश दुबे ने बतायाकि कार्यवाही के दौरान फैक्ट्री का कोई लायसेंस नही पाया गया. समस्त पानी की बोतलों एवं पाउच पर लेबलिंग अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने से जब्त कर लिया गया है एवं फ़ैक्टरी में अवैधानिक परिस्थितियों में निर्माण विक्रय करते पाए जाने से फ़ैक्ट्री को सील किया गया है. जाँच के दौरान संचालक राजेश चड्ढा ने बताया कि वह पानी की बोतलें सतना की कंपनी नीर इंडस्ट्रीज़ में पैक करके मंगाता था एवं अपने स्टिकर लगाकर बाज़ार में विक्रय कर देता था.

सांसद ने कार्य की प्रगति पर जताया असंतोष

जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक

सिंगरौली 29 अक्टूबर. सीधी सांसद डॉ. राजेश मिश्र के अध्यक्षता में एवं विधायक रामनिवास शाह, महापौर रानी अग्रवाल, कलेक्टर गौरव बैनल, एसपी मनीष खत्री, जिपं सीईओ जगदीश गोमे के उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई.

बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर ने समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुये एजेडा बिंदुओ को प्रस्तुत किया गया. विभागवार समीक्षा करते हुये सांसद डॉ. श्री मिश्र के द्वारा सीधी-सिंगरौली सड़क निर्माण कार्य के प्रति असंतोष जाहिर करते हुये एमपीआरडीसी के अधिकारी को निर्देशित किया कि सड़क निर्माण कार्य की निविदा जारी होने के पहले अच्छी तरह से कार्य योजना तैयार की आवश्यकता है. साथ ही कहा कि स्मार्ट मीटर के आधार पर अधिक बिल भुगतान के संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही है. इन शिकायतों को संज्ञान में लेकर विभाग स्मार्ट मीटर से प्राप्त होने वाले यूनिट का सत्यापन कराना सुनिश्चित करे. सांसद ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुये निर्देशित किया कि आउटसोर्सिंग पर कर्मचारियों को रखने स्वीकृति प्रदान की है. आगे समीक्षा करते हुये कहा कि एकल नल-जल योजना के तहत चल रहे कार्यो की प्रगति अत्यन्त कम है, जो खेदजन है.

फर्जी चिकित्सकों पर स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई

- एक क्लिनिक किया सील तीन अन्य पर हुई कार्रवाई

पारा (झाबुआ). बुधवार को स्वास्थ्य विभाग ने नगर में अवैध रूप से संचालित चिकित्सा कार्य कर रहे क्लिनिको पर कार्रवाई की.

जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ देवेंद्र भायल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर अवैध रूप से संचालित क्लीनिकों पर कार्रवाई की जाती रही है. डॉ भायल ने बताया कि पुरे जिले में अवैध रूप से चलने वाले क्लिनिक, लैब तथा मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में सूचना के आधार पर पारा में भी कार्रवाई की गई है. यहां केसरबाग के शांति बारिया के क्लिनिक को जहां सील किया गया है.

वहीं राजगढ़ रोड पर लैबटक्नीशियन पन्नालाल सिसोदिया बोरी रोड़ के गोपाल रावत तथा वैभव राठौड़ के क्लिनिक पर निर्देशात्मक कार्रवाई की गई. बस स्टैंड के आशीर्वाद मेडिकल पर भी इसी तरह की कार्रवाई की गई. जिन्हें पूर्ण करने के लिए 3 दिनों का समय दिया गया है। अगर 3 दिनों में क्लिनिक संचालक संतोषपूर्ण जवाब नही दे पाते हैं तो उनके खिलाफ अगली कार्रवाई भी की जाएगी. ऐसी कार्रवाई लगातार होती रहेगी.

एमपीएल की गर्वनिंग बाडी 4 दिन में बदली

दो युवा जीडीसीए के मेंबर नहीं, उन्हें बना दिया था

सिंधिया के दखल पर जारी हुई नई सूची

ग्वालियर, 29 अक्टूबर. ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन (जीडीसीए) द्वारा मध्यप्रदेश प्रीमियर लीग (एमपीएल) की बनाई गई गर्वनिंग बाडी मात्र चार दिन में ही बदल दी गई.

गर्वनिंग बाडी बनाने में जीडीसीए के कर्ताधर्ताओं ने बड़ी चूक कर दी. चूक यह थी कि जो दो युवा जीडीसीए के मेंबर नहीं थे उन्हें भी एमपीएल की गर्वनिंग बाडी 2025-26 में मेंबर बनाकर ताजपोशी कर दी गई थी. यह सदस्य थे प्रदेश के उर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के पुत्र रिपुदमन सिंह तोमर और केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निज सचिव पुरूषोत्तम पाराशर के भाई धीरज पाराशर. इन दोनों का जीडीसीए से कोई ताल्लुक नहीं था और न ही एमपीसीए से. फिर भी इन्हें एमपीएल की गर्वनिंग बाडी में शामिल कर लिया गया.

> यहां बता दें कि एमपीसीए और जीडीसीए के मेंबर ही एमपीएल की गर्वनिंग काउंसिल में आ सकते थे. शुरूआत में जीडीसीए की मैनेजिंग कमेटी ने इन युवाओं के मनोनयन पर साइन भी कर दिये थे. शुरूआत में गर्वनिंग बाडी में प्रशांत मेहता चेयरमैन, संजय आहूजा सचिव, रवि पाटनकर सीईओ, रिपुदमन सिंह तोमर व धीरज पाराशर मेंबर बनाये गये. यह आदेश 24 अक्टूबर को सचिव संजय आहूजा के हस्ताक्षर से निकाला गया. बाद में दो नये नवेलों के गर्वनिंग बाडी में जुड़ने का काफी हो हल्ला मचा, जीडीसीए से जुड़े लोगों ने भी आपत्ति जताई. सोशल मीडिया पर भी यह मसला चलने लगा, तब केन्द्रीय मंत्री व जीडीसीए संरक्षक ज्योतिरादित्य सिंधिया तक मामला पहुंचा तो उन्होंने आनन फानन में चेयरमैन प्रशांत मेहता को फोन कर गर्वनिंग बाडी का लैटर बदलवा दिया. यह लैटर संशोधित होकर 28 अक्टूबर को निकाला गया.

परिवारों के भूमि अधिकार के लिए सीएम से मिलीं ठाकुर

मनावर, 29 अक्टूबर. महिला एवं बाल विकास केंद्रीय राज्यमंत्री तथा धार-महू लोकसभा क्षेत्र की सांसद सावित्री ठाकुर ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी से सौजन्य भेंट कर धार लोकसभा क्षेत्र के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की.

इस भेंट का मुख्य विषय नर्मदा नदी के डूब प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी भाई-बहनों को भूमि पट्टों के व्यवस्थित वितरण से संबंधित रहा, जिसे मंत्री जी ने विशेष संवेदनशीलता और दृढ़ता के साथ मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व मंत्री सावित्री ठाकुर ने लोकसभा क्षेत्र के निसरपुर, खलघाट, डही, टांडा सहित डूब प्रभावित ग्रामों का व्यापक दौरा कर स्थानीय आदिवासी परिवारों से प्रत्यक्ष चर्चा की थी. इस दौरान ग्रामीणों ने भूमि अधिकार प्रमाणपत्र (पट्टा) न मिलने से उत्पन्न संकटों को विस्तार से साझा किया. उन्होंने बताया कि स्थापित आवास और कृषि भूमि पर अब तक कानूनी स्वामित्व न होने के कारण उन्हें अनेक प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. जनसमस्याओं की गंभीरता को देखते हुए मंत्री जी ने वहां ही वचन दिया था कि इस विषय को वे सरकार के सर्वोच्च स्तर तक तुरंत पहुंचाएंगी.

केंद्रीय मंत्री से डिप्टी सीएम शुक्ल की भेंट

रीवा-दिल्ली और रीवा-इंदौर हवाई सेवाओं के लिए जताया आभार

भोपाल, 29 अक्टूबर. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने नई दिल्ली स्थित निवास पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किन्जारपु से भेंट की. इस दौरान शुक्ल ने रीवा एयरपोर्ट से शीघ्र प्रारंभ होने वाली रीवा-दिल्ली और रीवा-इंदौर हवाई सेवाओं पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन सेवाओं से विंध्य क्षेत्र के नागरिकों को राजधानी दिल्ली और वाणिज्यिक केंद्र इंदौर तक सीधी हवाई सुविधा मिलेगी, जिससे क्षेत्र के आर्थिक, औद्योगिक एवं पर्यटन विकास को नई दिशा प्राप्त होगी. शुक्ल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने प्रदेश की जनता की ओर से केंद्रीय मंत्री नायडू के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहल आत्मनिर्भर और विकसित मध्यप्रदेश की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की ओर से केंद्रीय मंत्री श्री नायडू को रीवा एयरपोर्ट से इन हवाई सेवाओं के शुभारंभ समारोह में आमंत्रित भी किया.

मुआवजा नहीं मिलने तक श्योपुर विधायक ने किया जूतों का त्याग

श्योपुर. जिले में लगातार हुई बारिश से हजारों किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं. कटाई के बाद खेतों और घरों में खुले में सूख रही धान भीग गई, जिससे भारी नुकसान हुआ है. श्योपुर विधायक बाबू जंडेल गांव-गांव पहुंच रहे हैं. उन्होंने किसानों को उचित मुआवजा मिलने तक जूते न पहनने का संकल्प लिया है. विधायक ने सोई, सोंठवा, मानपुर, बगडुआ सहित कई प्रभावित गांवों का दौरा किया. उन्होंने कहा प्राकृतिक आपदा के इस समय में किसान अकेले नहीं है. विधायक जंडेल ने कहा कि जब तक हर किसान को उचित मुआवजा नहीं मिल जाता है, वे चैन से नहीं बैठेंगे. उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर त्वरित सर्वे और नुकसान का सही आकलन कर सहायता राशि वितरित करने की बात कही. किसानों के इस दर्द को उन्होंने खुद से जोड़ा और एक संकल्प लिया.

सीधी को मिला क्लब फुट मुक्त जिला का पुरस्कार

सीधी, 29 अक्टूबर. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बबिता खरे ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जिला सीधी को क्लब फुट मुक्त जिला घोषित किया गया है.

यह उपलब्धि जिला सीधी द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 0-18 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम है. बताया गया कि जिला सीधी ने 31 मार्च 2025 तक 2-18 वर्ष तक के क्लबफुट से ग्रसित बच्चों की सर्जरी कराकर जिले को क्लब फुट मुक्त जिला घोषित किया है. यह उपलब्धि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा टीम के समन्वित प्रयासों का परिणाम है. मिशन संचालक डॉ. सलोनी सिडाना ने जिला सीधी की इस उपलब्धि की सराहना की है. उन्होंने कहा कि जिला सीधी द्वारा किए गए जागरूकता कार्यक्रम, समयबद्ध पहचान, समुचित उपचार और सतत निगरानी के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग बधाई के पात्र हैं.यह उपलब्धि न केवल अन्य जिलों के लिए प्रेरणास्त्रोत है. बल्कि राज्य स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में भी एक उल्लेखनीय योगदान है.

CENTRUM Home Loans — Aao milkar ghar banaye

कॉर्पोरेट एवं रजिस्टर्ड ऑफिस : यूनिट नं. 801, सेन्ट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई- 400098, CIN No. U65922MH2016PLC273826

कब्ज़ा नोटिस

(सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) और नियम 8(2) के साथ पढ़े गए परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर को नोटिस में उल्लिखित बकाया राशि को संविदागत ब्याज, दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया जाता है। उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित, नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उधारकर्ता विशेष रूप से और आम जनता को इस संपत्ति से कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उस पर संविदात्मक ब्याज और दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि की राशि के प्रभार के अधीन होगा।
उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

स. क्र.	ऋण खाता संख्या / ऋणी/ सह-ऋणी का नाम	सुरक्षित संपत्तियों (अचल संपत्ति) का विवरण	मांग सूचना की तिथि और कुल बकाया राशि (रु.)	कब्जा लेने की तारीख
1.	UDRNM23011772 और UDRNM23012803 शिव सिंह राजपूत, साधना कुंवर भगवान सिंह राजपूत	अचल संपत्ति के अधिकार, अंश और भाग मकान संख्या 27, प्रवेश 1056 वर्ग फुट, पीएच.सं. 22, वार्ड सं.- 02, सर्वेक्षण संख्या 615, ग्राम अरनिया बोराना, तह. जीरन, जिला नीमच-458339, मंदसौर, मध्य प्रदेश. सीमाएँ- पूर्व- ईश्वर सिंह, पश्चिम- शैलेन्द्र सिंह, उत्तर- आम रास्ता, दक्षिण- शैलेन्द्र सिंह.	30-07-2025/ रु. 9,82,251/- (रु. नौ लाख बयासी हजार दो सौ इक्यावन मात्र)	25-10-2025
2.	UDRNM23014252 कमल कमल गुल्या बंजारा	अचल संपत्ति के अधिकार, अंश और भाग पता- 41, प्रवेश 900 वर्ग फुट, ग्राम- जूना मालाहेड़ा, तहसील- मनासा, जिला- नीमच-458110, मध्य प्रदेश. सीमाएँ- पूर्व- आम रास्ता, पश्चिम- जगदीश जी का घर, उत्तर- रतनलाल का घर, दक्षिण-- भूरालाल का घर.	30-07-2025/ रु.9,19,676/- (रु. नौ लाख उन्नीस हजार छह सौ छिहत्तर मात्र)	25-10-2025

दिनांक : 30-10-2025 **स्थान : मध्यप्रदेश**

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइल हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अत: देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियल कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों / सहदेनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया.... रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री मदनलाल श्रीमती कला बाई (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10285552)	पटवारी हल्का संख्या 53, प्लॉट संख्या 101, क्रमांक 174, कचनारिया, तराना, उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456001 - भारत स्थित संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति प्रकार- भूमि_क्षेत्रफल, कालीन_क्षेत्रफल, निर्मित_क्षेत्रफल संपत्ति क्षेत्र- 742.00, 437.00, 547.00	रु. 299111/- (रु. दो लाख निन्यानवे हजार एक सौ ग्यारह मात्र)	16-06-2025	24/10/2025
श्री कमलेश श्रीमती गायत्री (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10292120)	पटवारी हल्का संख्या 74, खसरा संख्या 18, क्षेत्रफल 1150 वर्ग फुट, काबरी, कसरावद, खरगोन, मध्य प्रदेश- 451335 - भारत में स्थित संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा. क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्र, निर्मित_क्षेत्र, कालीन_क्षेत्र संपत्ति का क्षेत्रफल- 1150.00, 1149.00, 950.00	रु. 253682/- (रु. दो लाख तिरेपन हजार छह सौ बयासी मात्र)	09-04-2025	24/10/2025
श्री ईश्वरलाल, श्रीमती संगीता, सांवरिया किराना (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10292526)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा, जिसका पटवारी हल्का क्रमांक 116, सर्वेक्षण क्रमांक 354, भूखंड क्रमांक 69, क्षेत्रफल 1716 वर्ग फुट है. ग्राम महुदीपुरा, उज्जैन, मध्य प्रदेश- 456550 में स्थित - भारत क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल- 1716.00, 966.00, 780.00	रु. 413522/- (रु. चार लाख तेरह हजार पांच सौ बाइस मात्र)	12-06-2025	25/10/2025
श्री साजिद शाह श्रीमती सुमेरा शाह जनाब शाबिर श्रीमती भूरी बाई ऑटो दिल रंगीला ऑटो दिल (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10379528)	संपत्ति का वह सारा टुकड़ा और पार्सल जिसका पीएच नं. 52, भवन पंजी क्रमांक 643, वार्ड क्रमांक 11, ग्राम गंधवानी, तह. गंधवानी, जिला. धार, मध्य प्रदेश, भारत, 454446 क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्र, निर्मित_क्षेत्र, अति_निर्मित_क्षेत्र क्षेत्र, कालीन_क्षेत्र संपत्ति क्षेत्रफल- 352.00, 300.00, 230.00, 430.00	रु. 522477/- (रु. पांच लाख बाइस हजार चार सौ सतहत्तर मात्र)	10-06-2025	24/10/2025
श्री विष्णु पंचाल श्रीमती ललिता बाई (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10578166)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा, पीएच नंबर 02, वार्ड संख्या 03, खसरा संख्या 696, मकान संख्या 108, ग्राम दांता जागीर, टोंकखुर्द, देवास, मध्य प्रदेश, भारत, 455001, क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल- 1500.00, 1000.00, 1281.00	रु. 339226/- (रु. तीन लाख उन्चालीस हजार दो सौ छब्बीस मात्र)	11-06-2025	24/10/2025
श्री नाथू सिंह गुर्जर श्रीमती रेशम बाई गुर्जर (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10665326)	मकान संख्या 44, वार्ड संख्या 5, पीएच नं. 66, ग्राम रेहली, तहसील और जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश, भारत, 465110 की संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा प्रवेश क्षेत्र (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्र, निर्मित_क्षेत्र _क्षेत्र, कालीन_क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र- 1500.00, 1400.00, 1120.00.	रु. 384523/- (रु. तीन लाख चौरासी हजार पांच सौ तेईस मात्र)	17-07-2025	24/10/2025
श्री देवकरणसिंह श्रीमती रामकला (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10694775)	पटवारी हल्का संख्या 18, मकान संख्या 188, वार्ड संख्या 11, खसरा संख्या 241, ग्राम छायानमैना, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, मध्य प्रदेश, 455118, भारत स्थित संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा. क्षेत्र प्रवेश (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्र संपत्ति का क्षेत्रफल- 2400	रु. 375276/- (रु. तीन लाख पिचहत्तर हजार दो सौ छिहत्तर मात्र)	20-06-2025	24/10/2025
श्री कालूसिंह सुश्री सारीकुंवर बाई (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10704539)	मकान संख्या 15, क्रमांक 284, ग्राम आजमाबाद उज्जैन, ग्राम आजमाबाद, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत, 456441 की संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति प्रकार- भूमि_क्षेत्रफल, कालीन_क्षेत्र. संपत्ति का क्षेत्रफल- 1600.00, 1000.00.	रु. 460530/- (रु. चार लाख साठ हजार पांच सौ तीस मात्र)	17-07-2025	25/10/2025
श्री लाखन सिंह, श्री गोरधन सिंह, श्रीमती निशा, कुशवाह मिल्क (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10707246)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा जिसका पीएच नंबर 59, वार्ड संख्या 20, खसरा संख्या 1395, चौबाराधीरा, टोंक खुर्द, देवास, मध्य प्रदेश, भारत 455116 प्रवेश क्षेत्र (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्रफल, कार्पेट_क्षेत्र, सुपर बिल्टअप_क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र- 630.00, 628.00, 00.00	रु. 404256/- (रु. चार लाख चार हजार दो सौ छप्पन मात्र)	20-03-2025	24/10/2025

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी **ब्रांच आफिस:** प्रथम तल, 29, निकास चौराहा अंकपथ मार्क, नई सड़क, उज्जैन म.प्र.-456001/226, ग्राउंड फ्लोर, ए.बी. रोड, अपोजिट चामुंडा माता मंदिर देवास-455001/102-103, दर्शन मॉल, 15/2, रेस कोर्स रोड इन्दौर-452001 म.प्र./या **कार्पोरेट ऑफिस**- प्लॉट नं. 98, फेस-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- इन्दौर, दिनांक- 30-10-2025 — प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड